न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

निर्णय दिनांक 30.06.2025

मुकदमा नम्बर 77/2021
जीसीएमएस नम्बर 2021/179

छाजूराम पुत्र गुरमुखराम जाति महाजन निवासी बड़सरी का बास तहसील चिड़ावा जिला झुझुनू।

—वादी—

बनाम

1. सरलादेवी पत्नी स्व. हरीराम जाति महाजन निवासी का बास तहसील चिड़ावा जिला झुझुनू हाल अग्रवाल 1—33/20/4—9, मकान नंबर 7 लेक कास्टेल आर.टी.सी. कालॉनी तिरूमल गिरी तिरूमालागिरी हेदराबाद (तेलगांना) पिन कोड — 500015।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
3. शाखा प्रबन्धक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया,(पुराना नाम एस.बी.बी.जे) शाखा मोमासर।

—प्रतिवादीगण—

उपस्थितिः—

1. श्री के.के.पुरोहित अभिभाषक वादी।
2. श्री प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही
3. पैरोकारराज स्टेट की ओर से।
4. श्री राजूराम जाखड़ अभिभाषक प्रतिवादी संख्या 3

दावा अन्तर्गत धारा 53,88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी की ओर से दावा निम्नलिखित आधारों पर सादर प्रस्तुत है वादी व प्रतिवादी संख्या 1 एक ही परिवार के सदस्य है। प्रतिवादी संख्या 1 वादी के भाई स्वर्गीय हरिराम की पत्नी है। वादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि खेत खसरा नम्बर खेत खसरा नंबर 350 तादादी 6.94 हैक्टेयर बारानी, खसरा नंबर 351 तादादी 1.46 हैक्टेयर बारानी कुल खसरा 2 कुल तादादी 8.40 हैक्टेयर वाके रोही आडसर पुरोहितान तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर में स्थित है। जिसमें वादी का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा अवस्थित है । वादी ने अपनी कृषि भूमि में कृषि नलकूप बनवा रखा तथा लाखों रूपये खर्च करके कृषि भूमि को उपयोगी व काश्त काबिल बनाया है। वादी व प्रतिवादी संख्या 2 के पति ने उपरोक्त कृषि भूमि को खरीद किया था तथा खरीद करने के पश्चात् आपसी सहमति से मौका पर विभाजन कर दिया था। विभाजन अनुसार वादी को खेत खसरा नम्बर 350 की उतरी तरफ से 3.47 हैक्टेयर कृषि भूमि व खसरा नम्बर 351 की दक्षिणी तरफ से 0.73 हैक्टेयर कृषि भूमि वादी के पक्ष में विभाजित की गई तथा प्रतिवादी संख्या 2 के पति स्व. हरीराम के हिस्से पांती में खेत खसरा नम्बर 350 की दक्षिणी तरफ से 3.47 हैक्टेयर कृषि भूमि व खसरा नम्बर 351 की उतरी तरफ से 0.73 हैक्टेयर विभाजित की गई। विभाजन अनुसार कब्जा काश्त है। प्रतिवादी संख्या 1 के पति मृत्यु के बाद उपरोक्त कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदारी विरासतन व हकत्याग से खातेदारी प्राप्त हुई। वादगत कृषि भूमि संयुक्त होने से वादी के हिस्से पांती की कृषि भूमि के सुधार व अन्य कार्यों के लिये काफी परेशानीयों की सामना करना पड़ रहा है। वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को सहमति से विभाजन का निवेदन किया तो प्रतिवादी संख्या 1 ने कहा कि अभी मेरे पास समय नहीं है। समय होने पर विभाजन करवा लेगें। कई बार विभाजन हेतु निवेदन किया तो प्रतिवादी संख्या 1 ने दिनांक 29. 07.2021 को कहा कि मैं मेरे पति को आपके द्वारा उपरोक्त खेत को जो मौखिक रूप से विभाजित किया गया है को नहीं मा[illegible] कृषि भूमि मैं लेना चाहती हूं। जिस पर वादी ने प्रतिवादी से निवेदन किया मैंने [illegible]से में आई कृषि भूमि को ट्यूबवैल बनाकर खाद इत्यादि डलवाकर लाखों रूपये लगाकर [illegible] को उपजाऊ बनाया है। मौखिक विभाजन अनुसार मेरा कब्जा व काश्त है को प्रतिवादी [illegible] 1 सहमति से विभाजन करवाने से स्पष्ट इन्कार हो गई व वादी को धमकी दी कि मैं अपने [illegible]स्से की कृषि भूमि को [illegible] अन्य व्यक्ति

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.07.16 13:23:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी

को विक्रय कर दूंगी तथा तुम्हें तुम्हारे हिस्से की कृषि भूमि से हर हालात में बेदखल कर दूंगी। प्रतिवादी संख्या 1 काफी बदमाश व लालची प्रवृति की महिला है। वादी शारीरिक बल से मुकाबला करने में असक्षम है। वादी को अपने हक–हिस्से की कृषि भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 की दखलअंदाजी रोकने व खुर्द–बुर्द करने से रोकने हेतु प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये विभाजन व चिर निषेद्याज्ञा पाबन्द करवाना आवश्यक हो गया है। वादगत कृषि भूमि में वादी का राजस्व रिकोर्ड में 1/2 हिस्सा दर्ज है। प्रतिवादी संख्या 2 भूमिधारी स्टेट है लेकिन यहां स्टेट से यहां किसी प्रकार का कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। इसलिये आवश्यक पक्षकार की हैसियत से प्रतिवादी संख्या 2 को पक्षकार बनाया गया है। कानूनी आपतियों को ध्यान में रखते हुये स्टेट के विरूद्ध दावा करने से पूर्व धारा 80 (2) सी.पी.सी. की नोटिस की छूट न्यायालय श्रीमान्जी से प्राप्त कर दावा प्रस्तुत किया जा रहा है। वादी के हिस्से की कृषि भूमि पर प्रतिवादी संख्या 3 से के. सी.सी. बनवा रखी है। राजस्व रिकोर्ड में प्रतिवादी संख्या 3 के पक्ष में वादी के हिस्से की कृषि भूमि रहिन दर्ज है। इसीलिए प्रतिवादी संख्या 3 को आवश्यक पक्षकार बनाया गया है । प्रतिवादी संख्या 3 के ऋण की समस्त जिम्मेदारी वादी स्वयं की है। वादगत भूमि वाके रोही आडसर पुरोहितान तहसील श्रीडूंगरगढ में स्थित है। इसलिये श्रवणाधिकार एवं क्षैत्राधिकार श्रीमान्जी को हासिल है। दावा पूर्ण कोर्टफीस पर अन्दरमियाद प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः दावा प्रस्तुत कर श्रीमान्जी से निवेदन है कि वादी खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न आशय कि डिक्री आज्ञप्त फरमाई जावें।

(क) कि इस आशय की डिक्री आज्ञाप्त कर घोषणा कि जावे कि वादगत खेत खसरा नंबर 350 तादादी 6.94 हैक्टेयर बारानी, खसरा नंबर 351 तादादी 1.46 हैक्टेयर बारानी कुल खसरा 2 कुल तादादी 8.40 हैक्टेयर वाके रोही आडसर पुरोहितान तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर में से खेत खसरा नम्बर 350 की उतरी तरफ से 3.47 हैक्टेयर कृषि भूमि व खसरा नम्बर 351 की दक्षिणी तरफ से 0.73 हैक्टेयर कृषि भूमि का खाता विभाजन किया जाकर राजस्व रिकोर्ड में अंकन किया जावें व ट्रेस नक्शा में अलग से तरमीम कायम की जावें ।

(ख) कि प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये चिरनिषेद्याज्ञा वर्जित फरमाया जावे कि वो वादगत खेत खसरा नम्बर 350 की उतरी तरफ से 3.47 हैक्टेयर कृषि भूमि व खसरा नम्बर 351 की दक्षिणी तरफ से 0.73 हैक्टेयर कृषि भूमि वाके रोही आडसर पुरोहितान की भूमि में प्रवेश न करे, न ही किसी दीगर शख्स को प्रवेश करावे न ही ऐसा कोई कृत्य या अपकृत्य करें जिससे वादी के अधिकारों, फसली लाभो, उपयोग–उपभोग पर विपरीत असर पड़े ।

(ग) कि अन्य अनुतोष हितकर वादी हो प्रदान करें।

(घ) कि खर्चा मुकदमा वादी को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावें।

वादी के उक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 जरिये रजिस्टर्ड एडी समन असालतन व वकालतन उपस्थित नहीं आने के कारण इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 3 जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाबदावा पेश किया। प्रतिवादी स्टेट की ओर से जवाब दावा पेश नहीं किये जाने का कथन किये जाने पर प्रतिवादी संख्या 2 को जवाबदावा पेश करनें का अवसर बन्द किया गया। वाद में तनकीयात कायम की गई। वादी की ओर से साक्ष्यवादी में छाजूराम का शपथ पत्र पेश कर दस्तावेज 1 से 6 प्रर्दश करवायें गये। साक्ष्यवादी के बयान लेखबद्ध किये गये। जिरह प्रतिवादीगण शून्य। बहस उभय पक्षकारान सुनी गई।

वादी अधिवक्ता द्वार अपनी बहस करते हुए वाद में अंकित तथ्यों का दोहराया जाकर वादी का वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया।

प्रतिवादीगण संख्या 03 के अधिवक्ता ने अपनी बहस करतें हुए कथन किया गया कि वादी द्वारा प्रर्दश दस्तावेज संख्या 6 के द्वारा बैंक का कोई बकाया नहीं प्रमाण पत्र वादगत खसरान भूमि का पेश किया गया है। वादी द्वारा [illegible] कर दी गई है। वादी का दावा विधि अनुसार स्वीकार किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 03 बैंक को कोई आपति नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.07.16 13:28:43 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

हमने उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा नंबर 350 तादादी 6.9400 हैक्टेयर व खसरा नंबर 351 तादादी 1.4600 हैक्टेयर वाकेरोही आडसर पुरोहितान हेतु विभाजन एवं चिरनिषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत कर उक्त खसरान भूमि का विभाजन प्रस्तुत वाद की मद क व ख के अनुसार अनुतोष चाहा गया है, चूंकि वादगत खसरान भूमि संयुक्त खातेदारी की भूमि है, विभाजन से पूर्व सभी सह खातेदारों का प्रत्येंक हिस्से पर अधिकार होता है। चूंकि प्रतिवादी संख्या 01 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 03 द्वारा वादी द्वारा अपनी ऋण अदायगी कर दी गई है का कथन कर विधि अनुसा वाद स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया। लिहाजा वादीगण वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

निर्णय

संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा नंबर 350 तादादी 6.9400 हैक्टेयर व खसरा नंबर 351 तादादी 1.4600 हैक्टेयर वाकेरोही आडसर पुरोहितान तहसील श्रीडूंगरगढ में वादी एवं प्रतिवादीगण का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर खाता विभाजन किया जाता है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ विभाजन के नियम 18 से 21 की पालना करतें हुए वादी एवं प्रतिवादीगण के आने जाने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए विभाजन प्रस्ताव पेश करें। प्राथमिक डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 30.06.2025 को मेरे द्वार लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.07.16 13:23:43 IST
Reason: SelfAttested